राजस्व लोक अदालत कैम्प- बुडीवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 498/2017

प्रार्थीगण :-

1. मांगीलाल पुत्र गलाराम जाति पुरोहित निवासी सुरसिंह का ढाणा जागसा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. मोहनराम पुत्र पूंजाराम दर्जी, निवासी जागसा
2. बैक मैनेजर /प्रबंधक एस.बी.आई शाखा टापरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

(S.D.O.) कलेक्टर बालोतरा

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.</u>

आदेश

दिनांक 13.06.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि कटाण रास्ता से प्रार्थी के खातेदारी खेत (कृषि भूमि) तक का रास्ता अर्थात खसरा नं. 963 रकबा 57.03 बीघा में से खसरा 976 रकबा 27 बीघा तक रास्ता कायम कराने हेतु आने जाने एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता हेतु घोषित करवाने चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। जिस पर विप्रार्थीगण 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित रहे।तहसीलदार पचपदरा ने जरिये पत्र दिनांक 19.04.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जो 20 फीट रास्ता कायम करने की थी। जबकि प्रार्थी का अपना खेत तक रास्ता कायम करने हेतु 13 फीट तक की चौडाई की आवश्यकता है तथा दिनांक 12.6.2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया हैं ग्राम मौजा सूरसिंह का ढाणा पटवार क्षेत्र जागसा में विप्रार्थी संख्या -1 के नाम खातेदारी दर्ज है उक्त भूमि मे से नक्शा अनुसार रास्ता प्रस्तावति किया गया है प्रस्तावित भूमि के रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता इससे न्यूनतम दूरी पर नही होने से उक्त भूमि मे ही प्रस्तावित रास्ता ही उचित रहेगा। जो न्यूनतम दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 64260/- रूपये प्रतिबीघा है।

दिनांक 13.6.2018 की मौका फर्द मे तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मे जाहिर किया है कि प्रार्थी मांगीलाल के खेत खसरा न0 996 मे जाने हेतु न्यूनत 13 फीट चौडाई के आधार पर कुल 0.12 बीघा बनता है, खसरा सं. 963 की डीएलसी दर 64260/- रूपये है।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.. ...9/11/21

Scanned by CamScanner

खसरा सं. 963 कटाण रास्ता पर है। दूरी न्यूनतम होने पर उक्तानुसार प्रस्तावित नक्शा 'ए' से 'बी' है। खसरा नंबर 976 से कटाण रास्ते तक पंहुचने हेतु खसरा नंबर 963 मे से रास्ता दिया जान उचित है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्ष्कष पर पंहुचे है कि प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता की मांग परिशिष्ट 'अ' व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द का नजरी नक्शा मे समानता है। प्रार्थी द्वारा सुरसिंह का ढाणा के खसरा नंबर 976 से कटान रास्ते तक पंहुचने के लिये खसरा नंबर 963 मे से रास्ता की मॉग की है जो वर्तमान मे चल रहे कटाण रास्ते से जोडा गया है एवं निकटतम रास्ता भी है, जो दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अनवान प्रकरण मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये व तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता की भूमि खसरा नंबर 963 जो विप्रार्थीगण के खेत है मे से 13 फीट चौडा रास्ता देने पर 0.12 बिस्वा भूमि रास्ता के लिये बनती है। तहसीलदार द्वारा खसरान की डीएलसी दर 64260/– प्रतिबीगा होना जाहिर किया है।इस प्रकार 12 बिस्वा भूमि का मुआवजा धारा 251 ए आरटीए के तहत नये नियमो के तहत डीएलसी रेट प्रतिबीगा 64260/–के हिसाब से 12 बिस्वा भूमि का मुआवजा 38,556/– के हिसाब से दुगना 77112/– देय होते है। जो प्रार्थीगण से वसूल कर विप्रार्थीगण, खातेदारान खसरा नंबर 963 के खातेदारान, को दिलाया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नंबर 963 मे से 13 फीट चौडा कुल रकबा 0.12 बिस्वा ग्राम सुरसिंह का ढाणा के सेढासेढ नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड मे भूमि रास्ते के उपयोग हेतु न्यूनतम दूरी की है एवं अन्य कोई उक्त खसरे से पूर्व में कोई मार्ग नहीं लगता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर खसरा न0 963 मे नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए से बी 13 फीट चौडाई का नया रास्ता की भूमि अवाप्त कर प्रार्थी के खसरा नंबर 976 गग्रम सुरसिंह का ढाणा तक नया रास्ता घोषित किया जाता है।

प्रार्थीगण मुआवजा की राशि रूपये 77112/– अक्षरे रूपये सत्तर हजार एक सौ बारह रूपये मात्र विप्रार्थी खातेदार खसरा नंबर 963 को निरीक्षक भू.अ. जसोल के रूबरू अदा कर रसीद तहसीदार पचपदरा को पेश करे। यदि खसरा न0 963 के खातेदार मुअवजा राशि लेनें से इन्कार करते हे तो ऐसी स्थिति मे उक्त राशि तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करवाने हेतु आदेशित किया जाता है। तदुपरान्त तहसीलदार पचपदरा आदेशानुसार माफिक संलग्न नक्शा सार्वजनिक रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा कैम्प.. ....जुडीवाड़

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner